बसेंगे नये शहर, बदले में मिलेगी जमीन

धामी कैबिनेट ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय, अब कृषि भूमि पर भी रिसार्ट का किया जा सकेगा निर्माण

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: उत्तराखंड में औद्योगिक व व्यावसायिक विकास को गति देने के लिए प्रदेश सरकार ने वाणिज्यिक भूखंडों पर व्यावसायिक-आफिस उपयोग के लिए निर्माण में भू-आच्छादन की बाध्यता समाप्त कर दी है, यानी अब किसी व्यावसायिक भूखंड के कुल क्षेत्रफल में से सेटबैक छोड़ने के बाद जमीन पर 100 प्रतिशत निर्माण हो सकेगा। अभी तक यह सीमा अधिकतम 75 प्रतिशत थी। कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई।

- ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहन के लिए गोल्ड, सिल्वर व प्लेटिनम आधारित व्यवस्था, मिलेगा अतिरिक्त एफएआर
- भू-आच्छादन की बाध्यता समाप्त वाणिज्यिक भूखंडों में 75 की जगह अब हो सकेगा 100 प्रतिशत निर्माण

अंदर पढ़ें पेज ›› 11

- मंत्रिमंडल ने सात कानूनों में दी ढील अब जेल नहीं, देना होगा ज्यादा जुर्माना
- 2.6 मीटर तक की स्टिल्थ पार्किंग भवन की ऊंचाई में शामिल नहीं होगी
- पिथौरागढ़ से अन्य राज्यों के लिए भी शुरू हो सकेंगी हवाई सेवाएं
- उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय स्तर पर होगी फैकल्टी की नियुक्ति
- प्रदेश के सभी जनपदों में गठित होंगे अभियोजन निदेशालय

मुख्यमंत्री युवा उन्नयन योजना को भी मंजूरी

देहरादून: प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के मेधावी छात्रों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उन्नयन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रतिवर्ष 11वीं एवं 12वीं के दस हजार चयनित छात्रों को जेईई, नीट व क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग दी जाएगी।

विस्तृत समाचार ›› पेज 11

राज्य में स्पेशल टाउनशिप विकसित कर नियोजित विकास के लिए उत्तराखंड टाउन प्लानिंग स्कीम व लैंड पूलिंग स्कीम में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। अब नये शहर बसाने के लिए ली जाने वाली जमीन के मालिकों को बदले में जमीन देने की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत कुछ हिस्सा व्यावसायिक एवं कुछ आवासीय भूमि भू-स्वामियों को दी जाएगी।

बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को व्यावहारिक बनाने व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको रिसार्ट निर्माण के लिए भी भू-उपयोग परिवर्तन की बाध्यता समाप्त की गई। अब कृषि भूमि पर ही रिसार्ट का निर्माण हो सकेगा। रिसार्ट निर्माण के लिए पहुंच मार्ग की चौड़ाई के मानकों में भी राहत दी गई है। पर्वतीय क्षेत्र के लिए इसे छह मीटर व मैदानी क्षेत्र के लिए नौ मीटर कर दिया गया है।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के तहत मार्गों की चौड़ाई, व्यावसायिक भवनों के लिए सेटबैक, भू-आच्छादन व फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) सहित होटल की ऊंचाई, रिसार्ट व ईको-रिसार्ट के लिए भू-आच्छादन, पहुंच मार्ग, पार्किंग में स्टिल्थ की ऊंचाई के प्रविधानों में संशोधन कर छूट दी गई है।

राज्य में नए भवनों के निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग मानकों को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो देने का कैबिनेट ने अनुमोदन किया। ग्रीन बिल्डिंग-हरित निर्माण के लिए गोल्ड, सिल्वर व प्लेटिनम आधारित व्यवस्था बनाई गई है। इसके अनुसार से तीन प्रतिशत तक अतिरिक्त एफएआर प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है। नवीन भवनों में शीत छत व हरित छत एवं नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने का भी प्रविधान किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ी शैली के मकान बनाने पर अतिरिक्त एफएआर दिया जाएगा।